फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्या 138/2023 शीर्षक अम्बालाल बनाम राज्य सरकार

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
	27/12/2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 को जारी सम्मन बाद तामील हुआ जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 01 ~~को जारी सम्मन बाद तामील~~ की ओर से जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 10/01/25 को पेश हो।	
	10/01/2025 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार, देवगढ़ द्वारा लिखित रिपोर्ट पेश की गई। जिसे शामिल मिसल किया गया एवं वकील प्रार्थी को प्रतिलिपि प्रदान की गई। उभयपक्ष बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा उल्लेख किया गया कि राजस्व ग्राम भैरु खेड़ा की जमाबन्दी संवत 2016 के खाता संख्या 40 में आराजी संख्या 30 रकबा 0.66 हैक्टेयर किस्म आबादी ग्राम पंचायत मदारिया के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वर्तमान आराजी स० 30 का मिलान पत्रक सैटलमेन्ट अनुसार गत जमाबन्दी 2070-2073 का खाता सं० 57 में आराजी संख्या 138/16 रकबा 3.01 बीघा किस्म आबादी दर्ज रिकॉर्ड था। गत आराजी सं० 138/16 एवं नवीन आराजी न० 30 दोनों का नक्शा मिलान पर पाया गया कि दोनों नक्शे एक ही स्थान पर बने होकर समान आकृति में तरमीम है। उक्त आराजी संख्या 138/16 वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में किसी नाम दर्ज रिकार्ड नहीं है। अतः भूमि के स्वामित्व हेतु घोषणात्मक दावा	

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्या 134/2023 शीर्षक अम्बालाल बनाम राज्य सरकार

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर / सूचना नं.
	पेश किया जाना सुनिश्चित करें। प्रार्थना-पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर देवगढ,जिला-राजसमन्द	